आंध्र प्रदेश राज्य

बनाम

रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरु (एम. पी.) (दीवानी अपील सं.4522-4524 2022 का)

/

1 जून, 2022

[बी**.** आर**.** गवई और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानःकलाएँ।32, 226 और 323 बी-उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार-तथ्यों के संबंध में, क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के संबंध में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण-एनजीटी ने अपीलकर्ता को आगे कोई भी निर्माण करने से प्रतिबंधित कर दिया, जब उच्च न्यायालय पहले से ही मामले के नियंत्रण में था और निर्माण की अनुमति देने वाला एक अंतरिम आदेश पारित किया था-इसके बाद, एनजीटी ने निर्माण पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाःजहां तक उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का संबंध है, न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे-तथ्यों पर, एनजीटी की ओर से उसके समक्ष कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं था, विशेष रूप से जब यह बताया गया था कि उच्च न्यायालय भी मामले के नियंत्रण में था और उसने निर्माण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था-एनजीटी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेशों से एक विसंगत स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां अधिकारियों को इस बात की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें किस आदेश का पालन करना है-ऐसी स्थिति में, संवैधानिक अदालतों द्वारा पारित आदेश, वैधानिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों पर प्रबल होंगे-कार्रवाई के समान कारण के लिए एनजीटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखना।

/

/

/

/

/

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य **(1995)**

1 एससीसी **400:[1994] 6** पूरक।एस. सी. आर. **261-**अनुसरण किया गया।

/

810 ए.

811

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरु (एम. पी.)

प्रिया गुप्ता और एक अन्य बनाम अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य

(2013) 11 एससीसी **404:[2012] 12** एस. सी. आर. **818-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[2012] 12 एससीआर **818**

संदर्भित

पैरा **10**

[1994] 6 पूरक।एस. सी. आर. **261** का अनुसरण किया गया।

पैरा **11**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 4522-4524।

/

2021 के मूल आवेदन में नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ) के दिनांक 06.05.2022 के निर्णय और आदेश से और 2021 के O. A. में I. A. Nos.117 और 2022 के 118 के आदेश से।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ़, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री अखिला पालेम, अभिषेक शर्मा, साहिल रवीन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

बालाजी श्रीनिवासन, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

बी. आर. गवई, जे.

आक्षेपित आदेश की प्रमाणित/सादे प्रति के बिना अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है।

/

नोटिस जारी करें।

श्री बालाजी श्रीनिवासन, विद्वान वकील, एकमात्र प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, और इस तरह, हमने आखिरकार मामले की सुनवाई की है।1. अपीलार्थी ने 2021 के ओ. ए. No.361 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "एन. जी. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 6 मई 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके अनुसार उसने अपीलार्थी को आगे कोई निर्माण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। अपीलार्थी ने आई. ए. संख्या 117 और 2022 की 118 में 2022 की ओ. ए. संख्या 361 में विद्वान एन. जी. टी. द्वारा पारित 20 मई 2022 के आदेश को भी चुनौती दी है।

/

/

812

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

जिसे 6 मई 2022 के आदेश के माध्यम से लगाए गए स्थगन की छुट्टी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलकर्ता पहले से ही विशाखापत्तनम के पास रुशिकोंडा पहाड़ी पर एक रिसॉर्ट चला रहा था।अपीलार्थी के अनुसार, आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद, उसने मौजूदा रिसॉर्ट को ध्वस्त कर दिया है और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उसी स्थान पर रिसॉर्ट का पुनर्निर्माण कर रहा है।3. एक रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल) 2021 का No.241, उक्त निर्माण को चुनौती देते हुए, अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है।उक्त रिट याचिका में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 16 दिसंबर 2021 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः

/

/

“इस बीच, विषय परियोजना के संबंध में निर्माण गतिविधियाँ और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ, यदि कोई शुरू की गई हैं, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के साथ-साथ मौजूदा मास्टर प्लान के अनुसार सख्ती से होंगी। "

/

4. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त रिट याचिका 8 दिसंबर 2021 को दायर की गई थी।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा संबोधित एक पत्र 31 अक्टूबर 2021 को विद्वान एनजीटी को भेजा गया था। प्रत्यर्थी आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में से एक से संसद सदस्य है।विद्वान एन. जी. टी. ने उक्त पत्र का संज्ञान लेने के बाद 2021 के ओ. ए. No.361 में कार्यवाही शुरू की।रिकॉर्ड से आगे यह पता चलता है कि एनजीटी ने 17 दिसंबर 2021 को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसने 29 मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि चार विशेषज्ञों की उक्त विशेषज्ञ समिति ने अपीलार्थी द्वारा किए गए निर्माण में कोई उल्लंघन नहीं पाया।

/

/

5. हालाँकि, विद्वान एनजीटी ने फिर से, 6 मई 2022 के अपने आदेश के अनुसार, एक दूसरी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।उक्त दूसरी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। हालाँकि, उक्त रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना, उसी आदेश द्वारा, विद्वान एनजीटी ने निर्देश दिया कि आगे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।

/

6. ऐसा प्रतीत होता है कि 6 मई 2022 के आदेश के बाद एनजीटी द्वारा पारित किया गया था, अपीलार्थी ने रोक ए को खाली करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

/

विद्वान एन. जी. टी. द्वारा पारित 6 मई 2022 के उक्त अंतरिम आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार निर्माण पर। हालाँकि, इसे एनजीटी द्वारा 20 मई 2022 के अपने आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।ये दोनों आदेश वर्तमान अपीलों में आक्षेपित हैं।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब सक्षम अधिकार क्षेत्र का उच्च न्यायालय पहले से ही मामले की सुनवाई कर रहा था, तो विद्वान एनजीटी कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि इस तथ्य को विद्वान एनजीटी के ध्यान में लाया गया था, लेकिन विद्वान एनजीटी ने 6 मई 2022 के अंतरिम आदेश को खाली करने से इनकार कर दिया, जो 16 दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत था।

/

/

8. डॉ. सिंघवी ने कहा कि एनजीटी एक न्यायाधिकरण है, जो जहां तक उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का संबंध है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एनजीटी के समक्ष कार्यवाही की निरंतरता विधि ी रूप से पोषणीय नहीं है।

/

9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री बालाजी श्रीनिवासन ने इसके विपरीत कहा कि अपीलकर्ता ने अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2021 को पारित आदेश का घोर उल्लंघन किया है।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने घोर उल्लंघन का संज्ञान लेने के बाद 4 मई 2022 को नोटिस जारी किया।

/

/

10. यह न्यायालय **,** प्रिया गुप्ता और एक अन्य बनाम के मामले में।

अतिरिक्त सचिव**,** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और

अन्य 1 ने इस प्रकार देखा हैः“12. सरकारी विभाग न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के परिणामों के लिए कोई अपवाद नहीं हैं।न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन उसकी अवज्ञा होगी और विधि के अनुसार कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में देश का विधि है।कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण और उस मामले के लिए नहीं

/

1 (2013) 11 एससीसी 404 ए

/

कोई अन्य प्राधिकारी इस न्यायालय द्वारा बताए गए विधि की उपेक्षा कर सकता है।इस तरह की आज्ञाकारिता उनके सुचारू रूप से काम करने के लिए भी अनुकूल होगी, अन्यथा विधि के प्रशासन में भ्रम पैदा होगा और विधि के प्रति सम्मान अपरिहार्य रूप से प्रभावित होगा।यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती कि राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि उसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत अधिकारियों और न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी है और वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।इस न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि यह दोहराना आवश्यक हो गया है कि संवैधानिक लोकाचार के प्रति अनादर और अनुशासन के उल्लंघन का न्यायिक संस्थान की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और आकस्मिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करता है।यह याद रखना चाहिए कि पूर्वानुमेयता और निश्चितता इस देश में विकसित न्यायिक न्यायशास्त्र की महत्वपूर्ण पहचान हैं, क्योंकि न्यायिक प्रणाली के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए अनुशासन अनिवार्य है।यदि न्यायालय दूसरों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने और विधि के शासन का पालन करने का आदेश देते हैं, तो उन लोगों द्वारा संवैधानिक सिद्धांत के उल्लंघन को स्वीकार करना संभव नहीं है जिनसे विधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।[रेफ. ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनीज लिमिटेड बनामसीमा शुल्क कलेक्टर [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1893] और आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य। [(2008) 10 एससीसी 1] "

/

/

/

/

11. किसी भी मामले में, यह कहने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक न्यायाधिकरणों का संबंध है, वे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे, जहां तक उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का संबंध है।इस संबंध में एल. चंद्र कुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

/

12. इसलिए, हमारा विचार है कि एनजीटी की ओर से उसके समक्ष कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं था, विशेष रूप से जब यह बताया गया था कि उच्च न्यायालय भी मामले में था और उसने निर्माण की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।विद्वान एन. जी. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेशों से एक विसंगत स्थिति पैदा हो जाएगी, जहाँ अधिकारियों को इस बात में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें किस आदेश का पालन करना है।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

/

2 (1995) 1 एससीसी 400 ए

/

स्थिति, यह संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हैं, जो वैधानिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों पर प्रचलित होंगे।

13. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि कार्रवाई के उसी कारण के लिए एनजीटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखना, जो उच्च न्यायालय के पास है, न्याय के हित में नहीं होगा।

/

14. इसलिए, हम 2021 के ओ. ए. No.361 में विद्वान एन. जी. टी. के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द और अलग करते हैं।

15. हम आगे पाते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि इन सभी तथ्यों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाए और उच्च न्यायालय विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने पर विचार करे ताकि विकास और पर्यावरण के मुद्दों के बीच संतुलन बनाया जा सके।16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण निशुल्क पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सके।

/

/

17. इसलिए, हम पाते हैं कि यह उचित होगा कि पक्षकार उचित आदेशों के लिए उच्च न्यायालय का रुख करें।प्रत्यर्थी को लंबित कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोग दायर करने के

लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

/

18. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विधि के अनुसार निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन हम पाते हैं कि जब तक उच्च न्यायालय उक्त मुद्दे पर नया निर्णय नहीं लेता, तब तक निम्नलिखित निर्देश जारी करना आवश्यक होगा:(क) जब तक उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार नहीं करता, तब तक निर्माण की अनुमति केवल उस क्षेत्र में दी जाएगी जहां निर्माण पहले था और जिसे ध्वस्त कर दिया गया है और समतल क्षेत्र।19. श्री महफूज अहसान नाज़की के निर्देश पर राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने कहा कि अपीलकर्ता निर्माण के कारण किसी भी हिस्सेदारी का दावा नहीं करेगा, जिसे आगे बढ़ाने की अनुमति है।

/

/

20. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्षकार सभी मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

/

उच्च न्यायालय के समक्ष उनके लिए उपलब्ध मुद्दे जिन पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।चूंकि एन. जी. टी. ने पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा या यदि उसे उचित लगे तो वह अन्य समिति नियुक्त कर सकता है जो उसे उचित लगे।

/

21. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/

/